में जारी हुए

20 OCT 2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। **APP** हाजिर। थानाधिकारी पुलिस थाना साडास से पत्रांक/91 दिनांक 12.10.2021 से अनुसंधान पत्रावली मय टिप्पणी/कमेन्ट्स प्राप्त हुये है। टिप्पणी शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। केस डायरी पत्रावली के हम किता है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अली हुसैन सोना पिता असरफ सोना जाति मुसलामन निवासी बोतलगंज, लसुडिया राठौड, तहसील व पुलिस थाना मल्हारगढ जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) वाहन स्वामी द्वारा पुलिस थाना साडास की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2021 दिनांक 10.09.2021 अन्तर्गत धारा 5, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या **MP 44 GA 1371** को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पुलिस थानाधिकारी, साडास से जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या **MP 44 GA 1371** की सिपुर्दगी के संबंध में कमेन्ट्स/टिप्पणी मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा पत्रांक/91 दिनांक 12.10.2021 से टिप्पणी मय केस डायरी के प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कमेन्ट्स/टिप्पणी का अवलोकन किया। अपनी टिप्पणी में थानाधिकारी गंगरार ने अवगत कराया है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 44 GA 1371** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया चुका है एवं प्रकरण में चालानी आदेश प्राप्त हो चुके है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि पुलिस थानाधिकारी साडास द्वारा अपनी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 44 GA 1371** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है, अतः जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पुलिस थानाधिकारी साडास द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 001/2021 दिनांक 10.09.2021 में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या **MP 44 GA 1371** को रूपये 900000/- अक्षरे नौ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर वाहन स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी साडास से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो।

(तारा चन्द मीणा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़
20 OCT 2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official